

The Venice Charter

*translated
in*

HINDI

HINDÎ

ICOMOS National Committee using this version:

India/Inde

प्राचीन संस्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र

1964 में वेनिस में आयोजित ऐतिहासिक स्मारकों पर वास्तुविदों एवं तकनिशियनों की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कन्फ्रेंस

1.15 अतीत की स्मृतियों में डूबे हुए ऐतिहासिक स्मारक, जिनका निर्माण पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोग करते चले आ रहे हैं, आज के वर्तमान के लिए जैसे कि वे अपनी प्राचीन परम्पराओं के एकमात्र जीवन्त साक्षी हैं। आज मानवसमाज में मानवीय मूल्यों की एकरूपता के प्रति अधिक से अधिक जागृति बढ़ी है और लोग यह समझने लगे हैं कि प्राचीन स्मारक हम सभी की साझी धरोहर हैं। यह भी स्वीकार किया जाने लगा है कि भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का सम्मिलित उत्तरदायित्व है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें उनकी पूर्ण प्रामाणिक गरिमा एवं वैभव के साथ ही आगामी पीढ़ी को सौंपें।

आवश्यक ही नहीं यह अनिवार्य भी है कि प्राचीन इमारतों के परिक्षण एवं जीर्णोद्धार के मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वीकार किये जाएं और उनका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो और यह उत्तरदायित्व हर देश का हो कि वह अपने देश की संस्कृति एवं परम्पराओं की मर्यादाओं के अनुरूप उस योजना को लागु करें।

परिभाषाएं

अनुच्छेद 1

एक ऐतिहासिक स्मारक की अवधारणा में केवल एक अकेली इमारत ही नहीं बल्कि वह शहरी और ग्रामीण समस्त परिवेश भी सम्मिलित है जिसमें किसी विशेष सभ्यता, किसी महत्त्वपूर्ण स्थिति या किसी ऐतिहासिक घटना के प्रमाण मौजूद रहते हैं। यह अवधारणा केवल महान कलाकृतियों पर ही लागु होती हो ऐसा नहीं है बल्कि पिछले युग में निर्मित उन निमृणों पर भी लागु होती है जो कुछ सीमा तक साधारण कहे जा सकते हैं और समय के साथ साथ जो सांस्कृतिक महत्त्व ग्रहण कर लेते हैं।

अनुच्छेद 2

स्मारकों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य में उन सभी ज्ञान-विज्ञान और तकनीकों को उपयोग में लाया जाना आवश्यक है जिनके उपयोग से स्थापत्य धरोहर के अध्ययन और उसकी सुरक्षा में सहायता मिल सकती है।

अनुच्छेद 3

स्मारकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें केवल कला की उत्तम कृतियों के रूप में सुरक्षित रखा जाय बल्कि यह भी है कि उन्हें ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में भी सुरक्षित रखा जाय ।

संरक्षण

अनुच्छेद 4

स्मारकों के संरक्षण के लिए यह अनिवार्य है कि उनके रखरखाव की व्यवस्था स्थायी आधार पर हो ।

अनुच्छेद 5

यदि सामाजिक दृष्टि से किसी उपयोगी कार्य के लिए स्मारकों का इस्तेमाल होता रहे तो उनके संरक्षण में हमेशा सुविधा रहती है । इस रूप में उनका उपयोग होता रहना तो अच्छा है किन्तु उपयोग के कारण स्मारक के विन्यास के स्वरूप अथवा सजावट में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए । उपयोग में परिवर्तन के कारण यदि कोई सुधार या फेरबदल हो वह इन्हीं सीमाओं में सुनियोजित ढंग से होना चाहिए और सभी उसकी अनुमति दी जानी चाहिए ।

अनुच्छेद 6

किसी स्मारक के संरक्षण का अर्थ है कि उस परिवेश का परिक्षण किया जाय जो कि अमुक प्रमाण की सीमाओं से बाहर न हो । जहाँ कहीं भी पारम्परिक परिवेश उपस्थित हो उसे उसी रूप में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है । वहाँ इस तरह का कोई नया निर्माण, इमारत को गिराने का काम या इमारत में सुधार या फेरबदल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस इमारत के आकार के रूप एवं रंग में कोई परिवर्तन आता हो ।

अनुच्छेद 7

किसी भी स्मारक को उसके इतिहास से, जिसका वह साक्षी है और उस परिवेश से जिसमें वह मौजूद है, अलग करके नहीं देखा जा सकता । किसी पूरे के पूरे स्मारक या उसके किसी भाग को उसके स्थान से हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि स्वयं उस स्मारक की सुरक्षा की दृष्टि से अथवा किसी अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हित में उसका अपने स्थान से हटाया जाना उचित न ठहराता हो ।

अनुच्छेद 8

उन मुर्तियों, चित्रों या साज-सजावट के काम को, जो किसी स्मारक के अभिन्न अंग हैं उसी स्थिति में उस स्मारक से हटाया जाना चाहिये जबकि यह समझा जाय कि उनका परिरक्षण सुनिश्चित करने का केवल इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है

जीर्णोद्धार

अनुच्छेद 9

जीर्णोद्धार का कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बड़ी उच्च कोटि की विशेषज्ञता चाहिए। इसका उद्देश्य है स्मारक के सौन्दर्य और उसके ऐतिहासिक मूल्य का परिरक्षण और उसे प्रकाश में लाना और यह आवश्यक है कि जीर्णोद्धार मूल साज-सामान तथा प्रामाणिक दस्तावेजों के प्रति सम्मान की भावना को आधार बना कर हो। उस बिन्दु पर पहुँचकर जहाँ कल्पना या अनुमान का सहारा लेना पड़े जीर्णोद्धार का काम बन्द हो जाना आवश्यक है और ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं, यदि कोई कार्य होना अपेक्षित है, जिसका होना अनिवार्य हो तो वह स्मारक के स्थापत्य की शैली की छाप भी रहनी चाहिये। जब भी जीर्णोद्धार का कार्य हो तो उस कार्य के पहले और उसके बाद में स्मारक के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन अवश्य ही होना चाहिए

अनुच्छेद 10

जहाँ पारम्परिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल ही काफी न हो, उस स्थिति में स्मारक के ढाँचे में मजबूती लाने की दृष्टि से संरक्षण और निर्माण-कार्य के लिए किसी भी ऐसी आधुनिक तकनीक (विधि) को प्रयोग में लाया जा सकता, वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जिसके बारे में यह प्रमाण मिल चुका हो कि प्रभावी होगी और अनुभव से जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी हो।

अनुच्छेद 11

किसी स्मारक की/के इमारत/भवन में समय समय पर जो भी प्रामाणिक परिवर्तन/परिवर्द्धन हुए हों, सभी कालों में हुए उन परिवर्तन/परिवर्द्धनों की रक्षा होनी चाहिए चूँकि जीर्णोद्धार का लक्ष्य केवल यही नहीं है कि स्मारक की शैलीगत एकरूपता को बनाये रखा जाय। जब किसी इमारत/भवन में विभिन्न कालों के दौरान उसके विस्तार के लिए नये ढाँचे खड़े किये गये हों, तो उसकी अंतर्निहित स्थिति को प्रकाश में लाना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उचित माना जा सकता है और जबकि स्थिति ऐसी हो कि जिस भाग को हटाया जाय वह किसी तरह अधिक महत्व न हो तथा जिस साज-सामान को प्रकाश में लाया गया हो उसका ऐतिहासिक, पुरातात्विक या फिर सौन्दर्य की दृष्टि से अपना अत्याधिक मूल्य हो और उसके परिरक्षण की स्थिति

इतनी अच्छी हो जिसके आधार पर उसके अंतर्निहित स्वरूप को प्रकाश में लाने की कार्यवाही उचित ठहराती हो। कार्यवाही से प्रभावित होने वाले तत्वों का अपना क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन और क्या कुछ नष्ट कर दिया जाना उचित रहेगा, यह निर्णय लेने का अधिकार उस एक अकेले व्यक्ति पर, जिसे कार्य को कराने का कार्यभार सौंपा गया है, नहीं छोड़ा जा सकता

अनुच्छेद 12

यदि कोई भाग लापता है या गुम हो गये हैं तो उनके स्थान पर फिर से जो भी निर्माण हो वह इस ढंग से होना चाहिए कि वे भाग समूचे ढांचे के स्वरूप में मिलकर उसके ही अंग दिखाई दें, किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि मूल ढांचे में उन्हें एकदम अलग पहचाना जा सके ताकि जीर्णोद्धार से स्मारक के कलात्मक या ऐतिहासिक प्रमाण का मिथ्या या बनावटी रूप सामने न आये

अनुच्छेद 13

उन परिस्थितियों को छोड़कर, जबकि विस्तार या संवर्धन से इमारत के महत्वपूर्ण भागों, उसके पारम्परिक परिवेश, उसके शेष निर्मित ढांचे तथा आसपास के परिवेश से उसका जो भी सम्बन्ध है, उस सभी का महत्व कम न होता हो, इमारत में विस्तार करने या उसे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ऐतिहासिक स्थल

अनुच्छेद 14

स्मारकों के स्थल वे स्थान हैं जिनके सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है ताकि उनके अखंड स्वरूप की रक्षा हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उनके आसपास से सभी अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर साफ कर दिया गया है ताकि वे देखने में सुदर्शन एवं सुन्दर लगें। इन स्थानों पर संरक्षण व जीर्णोद्धार का जो भी कार्य हो उस कार्य को करने के लिए पूर्वोक्त अनुच्छेदों में निर्धारित सिद्धान्तों से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।

उत्खनन - कार्य

अनुच्छेद 15

उत्खनन का कार्य विधि और मानकों तथा उस सिफारिश के अनुसार होना चाहिये जिसमें 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा पूरातात्विक स्थलों के उत्खनन पर लागू होनेवाली अपनाई गई परिभाषा दी गई है।

खंडहरों का अनुरक्षण और रखरखाव होना चाहिये और उनके विशिष्ट वास्तुशिल्प तथा उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के स्थायी संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय होना चाहिये। इतना ही नहीं, इस तरह का हर संभव उपाय अपनाया जाना चाहिये जिससे स्मारक को समझाने और इसमें निहित अर्थ को किसी भी रूप में विरूपित किये बिना उसे प्रकाश में लाने में सुविधा हो।

यह मानकर कि पहले भी ऐसा निर्माण हो चुका है, किसी भी तरह का पूनर्निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए। केवल ऐनास्टाइलोसिस अर्थात् वर्तमान किन्तु टूट कर अलग हो गये भागों को फिर से जोड़कर यथास्थान लगाने की अनुमति दी जा सकती है। उनको जोड़ने में इस्तेमाल होनेवाली सामग्री हर स्थिति में ऐसी होनी चाहिये कि उसे अलग पहचाना जा सके और इस सामग्री का कम से कम उपयोग होना चाहिये। इससे स्मारक के संरक्षण और इसके स्वरूप को पुनर्स्थापित करना सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रकाशन

अनुच्छेद 16

परिरक्षण, जीर्णोद्धार और उत्खनन के सभी कार्यों के लिए उनका सही प्रलेखीकरण होना आवश्यक है और प्रलेखीकरण का यह कार्य इस तरह होना चाहिये कि उसके आधार पर विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करना संभव हो सके। साथ ही उदाहरण के रूप में उनके नक्शे और फोटो भी दिये जाने चाहिये।

प्रलेखीकरण कार्य के दौरान अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर की गई सफाई, इमारत की मजबूती, उसमें उलटफेर कर की व्यवस्था और चिनाई आदि कर उसे जोड़ने के काम के हर चरण का प्रलेखीकरण होना चाहिये, साथ ही इसमें इन कार्यों के दौरान जिन भी तकनीकी तथा अनौपचारिक तत्वों का पता चले उन सभी को शामिल किया जाना आवश्यक है। यह रिकार्ड किसी सार्वजनिक संस्थान के अभिलेखागार में रखा जाना चाहिये तथा शोधकर्त्ताओं की मांग पर उन्हें उपलब्ध रहना चाहिये। हमारी यह भी सिफारिश है कि यह रिपोर्ट प्रकाशित भी होनी चाहिये।